



2026:AHC:21873

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1303 वर्ष 2026

प्रेम बाबू शर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, प्रवीण चंद्र मिश्रा

: सी.एस.सी.

न्यायालय सं.- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी एवं राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।

2. विरोधी पक्षों के वकीलों ने संयुक्त कथन किया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नवीन स्तर पर ही निर्णय लिया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें प्रारंभ में 01.06.1992 को तहसील कोल, जिला अलीगढ़ में सीजनल संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था एवं उन्होंने उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 के अनुसार नियमितीकरण / समायोजन के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक 69 पर पाया गया एवं याचिकाकर्ता से कनिष्ठ केशव देव, प्रमोद कुमार सक्सेना एवं मुकेश कुमार को नियमितीकरण / समायोजन प्रदान किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 51286 वर्ष 2006 (प्रेम बाबू शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) दायर की, जिसमें 12.12.2007 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

"1. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री समीर शर्मा की ओर से वाद धारक श्री शेषाद्री त्रिवेदी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

2. याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 17.05.2006 को पारित पदोन्नति आदेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित कई व्यक्तियों, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 को नियमित संग्रह अमीन बना दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को अपास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रिट याचिका दायर की है। उन्होंने प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ताओं को उनके कनिष्ठों की उक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से नियमित आधार पर संग्रह अमीन के पद पर नियुक्त करने का आदेश देने के लिए परमादेश रिट भी मांगी है।

3. संक्षेप में याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं को 01.06.1992 को तहसील कोल, जिला अलीगढ़ में सीजनल संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था एवं तब से वे निरंतर कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 (जिसे आगे "नियमावली, 1974" कहा गया है) के अंतर्गत, संग्रह अमीन के 35% रिक्त पदों को सीजनल संग्रह अमीनों की नियमित नियुक्ति द्वारा भरा जाना है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जिला अलीगढ़ में कार्यरत सीजनल संग्रह अमीनों की एक वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम क्रमशः क्रमांक 69 एवं 73 पर दर्शाए गए थे। वर्ष 2006 में, दिनांक 17.05.2006 के आदेश के अनुसार 18 सीजनल संग्रह अमीनों को नियमित आधार पर संग्रह अमीन बनाया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ कुछ लोग भी शामिल थे, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7, जबकि याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से नजरअंदाज कर दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने नियमों के अंतर्गत सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी की थीं एवं नियत तिथि से पदोन्नति के हकदार थे।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता संख्या 1 को 01.09.2007 को नियमित संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था, एवं इसलिए, याचिकाकर्ता संख्या 1 के संबंध में राहत केवल इस हद तक सीमित है कि उन्हें उनके कनिष्ठों की नियुक्ति की तारीख से कार्यवाहक अमीन के रूप में नियुक्त माना जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रत्यर्थागण ने प्रतिवादपत्र दाखिल किया है जिसमें यह बात निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्था संख्या 5 से 7 से वरिष्ठ हैं एवं यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता नियमित आधार पर संग्रह अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं। हालांकि, प्रतिवादपत्र के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की वसूली क्रमशः केवल 85.7% एवं 87% थी, जबकि प्रत्यर्था संख्या 5 से 7 द्वारा इसी अवधि में वसूली 100% से अधिक थी एवं उन्हें अधिक योग्य मानते हुए पदोन्नत किया गया है तथा याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं हुआ है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय का यह मत है कि नियमित आधार पर संग्रह अमीन के पद पर याचिकाकर्ताओं का चयन न होना एवं प्रत्यर्थागण द्वारा चयन प्रक्रिया का तरीका स्पष्ट रूप से नियमावली 1974 के नियमों के विपरीत है। नियम 5 (1) का परंतुक सीजनल संग्रह अमीनों की भर्ती के स्रोत एवं उनकी पात्रता योग्यताओं का प्रावधान करता है, जिसमें यह निर्धारित है कि चयनित व्यक्ति ने कम से कम 4 फसली तक संतोषजनक ढंग से कार्य किया हो एवं चयन किए जाने वाले वर्ष की 1 जुलाई को उसकी आयु 45 वर्ष से कम हो। 'संतोषजनक' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

"संतोषजनक कार्य का तात्पर्य होगा शुरू से अंत तक अच्छे आचरण को सम्मिलित करते हुए चार फसलों के दौरान विहित स्तर के अनुसार कम से कम सत्तर प्रतिशत वसूली।" (सेटिस्फेक्टरी वर्क शैल मीन--फॉर्म बिगनिंग तो एंड टेकिंग इंटू अकाउंट गुड कंडक्ट एंड मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ 70% कलेक्शन इयूरिंग फोर फसलीज)।

7. "सीजनल संग्रह अमीन" श्रेणी से भर्ती की प्रक्रिया 1974 की नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत दी गई है, जो इस प्रकार है:

"17. (क) सीजनल कलेक्शन अमीनों के चयन की प्रक्रिया -- कलेक्टर सीजनल कलेक्शन अमीनों की जो नियम 5 के यूपी नियम (1) के प्रथम परंतुक के अधीन चयन के लिए पत्र हो एक सूची तैयार करेगा एवं उनमें से संतोषजनक कार्य के अधीन जिले में सीजनल कलेक्शन अमीन के पद पर उनकी सेवा अवधि के आधार पर अपेक्षित संख्या में चयन करेगा. (कलेक्टर शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सीजनल कलेक्शन अमिंस ह आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन अंडर फर्स्ट प्रोविजो टू सब रूल 1 ऑफ रूल 5 एंड शैल मेक सिलेक्शन ऑफ रिक्विजिट नंबर ऑफ पोस्ट्स अमर्गस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ देअर सेटिस्फेक्टरी वर्क एंड द सर्विस पीरियड)।"

8. अतः नियमों के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कलेक्टर सीजनल संग्रह अमीनों की एक सूची तैयार करेगा जो नियम 5 के उप-नियम 1 के परंतुक के अंतर्गत चयन के लिए पात्र हैं एवं उसके बाद उनकी वरिष्ठता, अर्थात् सेवा अवधि एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर उनमें से आवश्यक संख्या में पदों का चयन करेगा।

9. यह स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता पात्रता की शर्त के साथ-साथ नियमों में वर्णित 'संतोषजनक कार्य' की शर्त को भी पूरा करते हैं। पदोन्नति का मानदंड केवल योग्यता नहीं है। नियमों में यह प्रावधान नहीं है कि संग्रह अमीन के चयन के लिए विभिन्न सीजनल संग्रह अमीनों द्वारा की गई वसूली की मात्रा को ध्यान में रखा जाएगा, न ही विभिन्न सीजनल संग्रह अमीनों के बीच आपसी योग्यता या तुलना को मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है। अधिक वसूली करने वाले सीजनल संग्रह अमीनों को कम वसूली करने वाले अन्य अमीनों की तुलना में बेहतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे नियमों के अंतर्गत चयन का आधार ही बदल जाएगा। नियमों के अनुसार एकमात्र आवश्यकता यह है कि संबंधित व्यक्ति ने 1974 के नियमों के नियम 5 के अनुसार संतोषजनक ढंग से कार्य किया हो, अर्थात् चार फसली के दौरान कम से कम 70% वसूली की हो। दूसरा पहलू सेवा अवधि, अर्थात् वरिष्ठता है। याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 70% से अधिक वसूली की है एवं वे प्रत्यर्था संख्या 5 से 7 से वरिष्ठ भी हैं। इसलिए, मेरी राय में, उन्हें वसूली अमीन के नियमित पद पर चयन से गलत तरीके से वंचित किया गया है।

10. चूंकि संग्रह अमीन के पद समय-समय पर रिक्त होते रहे हैं, इसलिए इस रिट याचिका में चुनौती दिए गए नियुक्ति आदेश को रद्द करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय, प्रत्यर्थागण को निर्देश दिया जा सकता है कि वे उपरोक्त नियमों एवं टिप्पणियों के अनुसार याचिकाकर्ताओं पर विचार करें एवं यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें उनके कनिष्ठों की नियुक्ति की तिथि से संग्रह अमीन के रूप में मानें। न्यायालय तदनुसार निर्देश देता है।

उपरोक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता लागत के हकदार होंगे जो 10,000 रुपये की निर्धारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को 01.09.2007 को संग्रह अमीन के रूप में नियमित किया गया था और उसने 03.09.2007 को पदभार ग्रहण किया था।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाते हुए, राज्य द्वारा एक अंतर-न्यायालयी अपील दायर की गई, जिसका शीर्षक था उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम प्रेम बाबू शर्मा और अन्य; विशेष अपील संख्या 95 वर्ष 2008, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को इस सीमा तक अपास्त करते हुए निस्तारित किया गया, जहां तक लागत लगाई गई थी।

6. याचिकाकर्ता का कहना है कि अपील पर निर्णय के बाद याचिकाकर्ता को 41,600 रुपये का वेतन दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता से कनिष्ठों को 45,000 रुपये का वेतन दिया जा रहा था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वरिष्ठता सूची प्रकाशित हुई जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 28 पर था, जबकि याचिकाकर्ता से कनिष्ठों का नाम क्रमांक 15, 21 और 22 पर था। हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे को दिनांक 01.08.2024 के कार्यालय नोटिस द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावे और पिछली सुनवाई में रिट न्यायालय के निर्देश पर विचार नहीं किया गया।

7. इसी से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एक बार याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार कर ली गई और अंतर-न्यायालयी अपील में रिट न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई, तो याचिकाकर्ता के नियमितीकरण और अन्य लाभों के दावे पर उस तारीख से विचार किया जाना चाहिए था, जिस तारीख से कनिष्ठों को लाभ प्रदान किए गए थे।

9. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

10. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया तीसरे प्रतिवादी, जिला अधिकारी/कलेक्टर, अलीगढ़, जिला अलीगढ़ द्वारा निपटारा किया जाना आवश्यक है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

12. पीठ पर किए गए निवेदनों एवं उसके रख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत करे। तीसरा प्रत्यर्थी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा। यदि तीसरे प्रत्यर्थी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

13. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"